

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 17/552

जगन्नाथ पुत्र श्री केसरी लाल जाति कलाल उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्त

बनाम

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री ~~जुम~~प्रकाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।


निर्णय

दिनांक: 07.11.2017

1. अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2017 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा जिला कोटा ने अप्रार्थी अपीलान्त को वनखण्ड आवंली रोझडी ग्राम रोझडी की भूमि आराजी खसरा नं. 61 की रकबा 0.0102 हैक्टर वनखण्ड की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने से अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए फसल जब्त करने एवं बेदखल करने तथा धारा 91 (II) के अन्तर्गत पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के दोष में लगान का 500/- रुपये शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 30 दिवस (एक माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 20.07.2015 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्त की अपील अपने आदेश दिनांक 29.08.2017 के द्वारा खारिज कर दी । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।
3. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
4. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र वनाधिकारी वनपाल नाका की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं अपने पक्ष में साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्त का उक्त वादग्रस्त आराजी पर न तो कभी कब्जा रहा और न ही कभी अपीलान्त ने काश्त की है और न ही उक्त आराजी से अपीलान्त को कभी बेदखल किया गया है । अपीलान्त का वन विभाग की किसी भी आराजी व वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और वर्तमान में भी उनका कब्जा नहीं है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

5. रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था जो वनपाल की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध होता है । वादग्रस्त आराजी वन विभाग की आरक्षित भूमि है जिस पर अपीलान्त को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज से पूर्णतया साबित है कि अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है और अतिक्रमित भूमि वन विभाग की आरक्षित भूमि है उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।
6. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह वन विभाग की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है जिसके सम्बन्ध में उन्होंने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में अपीलान्त ने अंडरटेकिंग दी है और तावान शुल्क आदि जमा करा दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने का वचन दिया है ।
7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्त को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्त ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है । उक्त आदेश की एक प्रति न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा वन मण्डल कोटा को भेजी जावे । यदि अपीलान्त उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को न्यायालय न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा वन मण्डल कोटा में उपस्थित हों ।
8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।
9. निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


 (पंकज कुमार ओझा)
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा